


17/8/15

91

198

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल रीवा खण्डपीठ रीवा (म0प्र0)

श्रीमोक्ष प्रसाद सिंह एड्स
द्वारा 17.8.15



संतोष कुमार तिवारी तनय श्री सहदेव प्रसाद तिवारी, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम पूर्वा, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)

निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- उमेश कुमार तनय हर प्रसाद शुक्ला
निवासी ग्राम पूर्वा, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)
- 2- म0प्र0 शासन द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय रीवा (म0प्र0)

गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय राजस्व निरीक्षक मण्डल चाकघाट द्वारा प्रकरण क्र0-52अ-12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 16/05/2015

निगरानी अंतर्मत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नवत् है :-

- 1- यह कि गैरनिगरानीकर्ता क्र0-1 की भूमि नं0-15/2ख एवं आ0नं0-20 का सीमांकन किये जाने सम्बन्धी आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त चाकघाट द्वारा अपने पुनरीक्षणाधीन तथाकथित आदेश में एवं उसके समर्थन में कूटरचित ढंग से तैयार किये गये फील्ड बुक एवं स्थल पंचनामा में प्रतिवेदित कर आदेश पारित किये गये हैं जिसमें तमाम विधिक प्रक्रियाओं को ध्वस्त कर दिया

संतोष कुमार

M

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निगम-2907-II/2015

जिला-रीवा

संतोष कुमार तिवारी/उमेश कुमार त्रिपाठी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश प्रताप सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त राकघाट तहसील त्योंथर के प्रकरण क्रमांक 52/अ-12/2014-15 के पारित आदेश दिनांक 16.05.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रो भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के अन्तर्गत अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p>	

M

(बी.एम.शर्मा),
सदस्य